

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2024—चैत्र 14, शक 1946

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. 433-1191793-2023-ए-सोलह.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1199-1191793-2023-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2023 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रीमती नमिता तिवारी, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना तथा प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश, इंदौर को इस निमित्त आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य के लिए, "मुख्य कारखाना निरीक्षक" के रूप में नियुक्त करता है.

No. 433-1191793-2023-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), and in supersession of this department's Notification No. 1199-1191793-2023-A-XVI, dated 14th August 2023, the State Government, hereby, appoints Smt. Namita Tiwari, Deputy Director, Industrial Health & Safety, Satna and In-charge Director, Industrial Health & Safety, Madhya Pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya Pradesh, untill further orders in this behalf.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.